

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 1531 / FP/UK/ROAD/39053/2019 देहरादून: दिनांक: 24 दिसम्बर, 2019

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत टनकपुर-तवाघाट से सिगदा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.9115 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

(Online proposal no- FP/UK/ROAD/39053/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट चम्पावत द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 3.9115 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Sanctuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग-I से भाग-III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा) 23/12/19

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/ROAD/39053/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद-चम्पावत।
6. प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
7. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट चम्पावत।

(डी0जे0के0 शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी व प्रमुख वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद-चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत टनकपुर-तवाघाट से सिगदा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.9115 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

(Online proposal no- FP/UK/ROAD/39053/2019)

जनपद-चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत टनकपुर-तवाघाट से सिगदा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.9115 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत के अन्तर्गत 3.7015 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.21 हे0 राजस्व वन भूमि अर्थात् कुल 3.9115 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद-चम्पावत/प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Sanctuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनाम:

हस्ताक्षर:

(डी0जे0के0 शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
APCCF & NODAL OFFICER (FC)

सरकारी मोहर:

UTTARAKHAND, DEHRADUN

तिथि : 23/12/2019

स्थान : देहरादून